



राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,



क्रमांक एफ 20(6) (9)निमअ / बजट / 2018-19 /

दिनांक :-

सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता  
समस्त

विषय :- आचार संहिता के दौरान आवंटित बजट का उपयोग करने बाबत।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में आपको समय-समय पर बजट आवंटित किया जाता है। कृपया बजट का उपयोग योजनाओं के दिशा-निर्देशों, वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए करें।


निदेशालय द्वारा आवंटित बजट का उपयोग करते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें।

(नीति धीमन)  
वित्तीय सलाहकार  
महिला अधिकारिता विभाग  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20(6)(9)निमअ / बजट / 2018-19 / 99385  
निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक :- 26/10/18

1. प्रोग्रामर, म.अ. मुख्यालय को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

  
लेखाधिकारी  
महिला अधिकारिता विभाग